भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 100

सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में रोजगार की स्थिति

100. श्री राजकुमार रोत:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के राज्यों के पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान सभी अनुसूचित क्षेत्रों के लिए राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों के गुजरात में रोजगार के लिए पलायन को रोकने के लिए कोई प्रयास किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्रों में बेरोजगारी दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में कुशल और अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर निर्धारित करने के मानदंडों का ब्यौरा क्या है और सभी राज्यों में वर्तमान दरें क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार की वर्तमान दर को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) : रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाया जाता है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2019-20 में 4.8% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। देश के 5वें अनुसूचित क्षेत्र के राज्यों सहित, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत जानकारी पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध है,

जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में श्रमिकों का पलायन एक सतत तथा निरंतर परिवर्तनशील प्रक्रिया है।

केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ समन्वय करके रोजगार के अवसर सृजित करने और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को क्रियान्वित कर रही है, ताकि लोगों को अपने राज्य में काम करने, आजीविका कमाने और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए निवास स्थान के निकट रहने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में युवाओं सहित सभी की रोजगार क्षमता में सुधार के साथ रोजगार सृजन सरकार की प्राथमिकता है और यह एक बहु-हितधारक पहल है। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि को लागू कर रहे हैं जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/ कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है ।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोज़गारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन नौकरी मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

वेतन संहिता, 2019 के प्रावधानों के तहत, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के तहत न्यूनतम मजदूरी तय करने, उसकी समीक्षा करने और संशोधित करने के लिए उपयुक्त सरकारें हैं। मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण के लिए, उपयुक्त सरकार द्वारा:

- अकुशल, कुशल, अर्ध-कुशल और अत्यधिक कुशल या भौगोलिक क्षेत्र या दोनों की श्रेणियों के तहत काम करने के लिए अपेक्षित कामगारों के कौशल को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाएगा; और
- कुछ निश्चित श्रेणी के कामगारों के लिए मजदूरी की ऐसी न्यूनतम दर के अतिरिक्त, उनके काम की कठिनाई जैसे सामान्य तौर पर असहनीय तापमान या आर्द्रता, जोखिमपूर्ण व्यवसाय या प्रक्रियाएं या भूमिगत कार्य को ध्यान में रखा जाए।

इसके अलावा, उपयुक्त सरकार को वेतन संहिता, 2019 के तहत जीवनयापन लागत भत्ते (मजदूरी की न्यूनतम दर के घटकों में से एक) को समय-समय पर संशोधित करने का अधिकार है।

*****